

## प्रधानमंत्री अनुसूचति जाति अभ्युदय योजना

### प्रलिस के लयि:

[प्रधानमंत्री अनुसूचति जाति अभ्युदय योजना](#), केंद्र परायोजति योजना, [प्रधानमंत्री आदरश ग्राम योजना](#), बाबू जगजीवन राम छातरावास योजना, [अनुसूचति जाति](#)

### मेन्स के लयि:

अनुसूचति जनजातयि के लयि कल्याण योजनाएँ, अनुसूचति जनजातयि के लयि सुरक्षा उपाय, सरकारी पहल

**स्रोत: पी.आई.बी.**

### चर्चा में क्योँ?

हाल ही में, सामाजकि न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने [प्रधान मंत्री अनुसूचति जाति अभ्युदय योजना \(PM-AJAY\)](#) पर प्रकाश डाला, जो [प्रधान मंत्री आदरश ग्राम योजना \(PMAGY\)](#), [अनुसूचति जाति उपयोजना के लयि वशिष केंद्रीय सहायता \(SCA से SCSP\)](#), और [बाबू जगजीवन राम छातरावास योजना \(BJRCY\)](#) सहति तीन केंद्र परायोजति योजनाओं को मलिकर एक व्यापक योजना है।

- वर्तितय वर्ष 2021-22 में शुरु की गई इस पहल का उद्देश्य [कौशल वकिस](#), आय-सृजन योजनाओं और वभिन्नि पहलों के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करके [अनुसूचति जाति समुदायों](#) का उत्थान करना है।

### PM-AJAY की मुख्य वशिषताएँ क्या हैं?

#### उद्देश्य:

- कौशल वकिस, आय-सृजन योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से अतरिकित रोजगार के अवसर पैदा करके अनुसूचति जाति समुदायों में गरीबी को कम करना।
- भारत के आकांक्षी ज़िलों/अनुसूचति जाति बहुल बलों और अन्य जगहों पर गुणवत्तापूर्ण संस्थानों में पर्याप्त आवासीय सुवधिएँ प्रदान करके [साक्षरता](#) बढ़ाना तथा स्कूलों एवं उच्च शकिषण संस्थानों में अनुसूचति जाति के नामांकन को प्रोत्साहति करना।

#### PM-AJAY के घटक:

- अनुसूचति जाति बहुल ग्रामों का "आदरशग्राम" के रूप में वकिस:
  - इस घटक को पहले प्रधानमंत्री आदरश ग्राम योजना (PMAGY) के नाम से जाना जाता था।
  - इस घटक का उद्देश्य अनुसूचति जाति बहुल ग्रामों का एकीकृत वकिस सुनिश्चति करना है।
    - सामाजकि-आर्थकि वकिस आवश्यकताओं के लयि पर्याप्त बुनियादी ढाँचा प्रदान करना।
    - चहिनति सामाजकि-आर्थकि संकेतकों (नगिरानी योग्य संकेतक) में लक्ष्य सुधार।
      - नगिरानी योग्य संकेतक 10 डोमेन में वतिरति कयि गए हैं। इन डोमेन में [पेयजल और स्वच्छता](#), शकिषा, स्वास्थय तथा पोषण, सामाजकि सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें एवं आवास, ऊर्जा व स्वच्छ ईंधन, कृषि पद्धतयि, वतितीय समावेशन, [डजिटिलीकरण](#) और आजीवकि एवं कौशल वकिस जैसे महत्त्वपूर्ण पहलू शामिल हैं।
    - अनुसूचति जाति और गैर-अनुसूचति जाति आबादी के बीच असमानता को समाप्त करना।
    - सभी अनुसूचति जाति के बच्चों के लयि कम-से-कम माध्यमकि स्तर तक की शकिषा पूरी करना सुनिश्चति करना।
    - मातृ एवं शशि मृत्यु दर को बढ़ाने वाले कारकों का पता लगाना।
    - वशिषकर बच्चों और महिलाओं में [कुपोषण](#) की घटनाओं को समाप्त करना।
  - उपलब्धतयि:
    - आदरश ग्राम घटक के तहत, वर्तमान वतिर वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 1834 गाँवों को आदरश ग्राम घोषति कयि गया है।
  - ज़िला/राज्य-स्तरीय परयोजनाओं के लयि 'सहायता अनुदान':
    - इस घटक को पूर्व में अनुसूचति जाति उपयोजना के लयि वशिष केंद्रीय सहायता के रूप में जाना जाता था।

- इस योजना का लक्ष्य नमिनलखिति प्रकार की परयोजनाओं के लिये अनुदान के माध्यम से अनुसूचति जातिका सामाजिक-आर्थिक विकास करना है:
  - **व्यापक आजीविका परयोजनाएँ:**
    - ऐसी परयोजनाएँ जो अनुसूचति जातिका लिये **स्थायी आय उत्पन्न करने** अथवा सामाजिक उन्नतिका लिये एक **संपूर्ण पारसिथतिकी तंत्र का नरिमाण** करती हैं, उन्हें ही शुरू कया जाएगा।
    - ये परयोजनाएँ अधमिनतः नमिनलखिति में से दो या अधिक का संयोजन होनी चाहयि:
    - **कौशल विकास:**
      - **कौशल विकास और उद्यमति मंत्रालय** के मानदंडों के अनुसार कौशल पाठ्यक्रम तैयार करना। सरकार द्वारा संचालति कौशल विकास गतिविधियों के संचालन के लिये संबंधति सुविधाएँ तथा बुनयादी ढाँचा प्रदान करना। इसके अंतरगत कौशल विकास संस्थानों को भी वतित पोषति कया जा सकता है।
    - **लाभार्थियों/परवारों के लिये परसिपत्तियों के नरिमाण/अधगिरहण हेतु अनुदान:**
      - योजना के अंतरगत एकल व्यक्तगित परसिपत्तित्ति वतिरण होगा। हालाँकि, **यदि परयोजना में लाभार्थियों/परवारों के लिये आजीविका सृजन के लिये आवश्यक परसिपत्तियों के अधगिरहण/नरिमाण का प्रावधान है** तो ऐसी परसिपत्तियों के अधगिरहण/नरिमाण के लिये लाभार्थी द्वारा लयि गए ऋण के लिये वत्तितीय सहायता, प्रत्त लाभार्थी/घर 50,000 रुपए अथवा परसिपत्तित्ति लागत का 50 प्रतशित तक जो भी कम हो, तक होगी।
    - **बुनयादी ढाँचे का विकास:**
      - परयोजना से संबंधति बुनयादी ढाँचे तथा **छात्रावासों एवं आवासीय वदियालयों** का विकास कया जाएगा।
  - **वशेष प्रावधान:**
    - अनुसूचति जातिका महिलाओं के लिये कुल अनुदान का 15 प्रतशित तक वशेष रूप से व्यवहार्य आय उत्पन्न करने वाली आर्थिक विकास योजनाएँ/कार्यक्रम के संचालन का प्रावधान।
    - बुनयादी ढाँचे के विकास के लिये कुल अनुदान का 30 प्रतशित तक उपयोग कया जाएगा।
    - जो कौशल विकास के लिये कुल नधि का कम-से-कम 10 प्रतशित हो।
    - कौशल विकास के लिये कुल नधि का कम-से-कम 10% उपयोग कया जाएगा।
    - उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा वपिणन में लगी अनुसूचति जातिका **सहकारी समतियों को बढ़ावा देना।**
  - **उपलब्धतियाँ:**
    - वतित वर्ष 2023-24 के दौरान अनुदान सहायता घटक के तहत 17 राज्यों के लिये परपिरेक्ष्य योजना को मंजूरी दी गई है।
  - **उच्च शकिषण संस्थानों में छात्रावासों का नरिमाण:**
    - यह अनुसूचति जातिका छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शकिषा प्राप्त करने और स्कूल छोडने की दर को कम करने में सक्षम तथा प्रोत्साहति करता है, इसे राज्य सरकारों, केंद्रशासति प्रदेश प्रशासनों एवं केंद्रीय व राज्य वशिवदियालयों/संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वति कया जाता है।
      - छात्रावासों के नरिमाण/वसितार के लिये लागत मानदंड नमिनानुसार होंगे:
        - उत्तर पूर्वी क्षेत्र: प्रत्तिकाँदी 3.50 लाख रुपए।
        - उत्तरी हिमालयी क्षेत्र: प्रत्तिकाँदी 3.25 लाख रुपए।
        - गंगा के मैदान और नचिले हिमालयी क्षेत्र: प्रत्तिकाँदी 3.00 लाख रुपए।
      - लडकों के छात्रावासों के लिये भी 100% केंद्रीय सहायता - पहले यह राज्य के साथ लागत साझा करती थी।
  - **सफलता:**
    - वतित वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 15 नए छात्रावासों को मंजूरी दी गई है।

## सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**??????:**

प्रश्न1. वर्ष 2001 में आर.जी.आई. ने कहा कि दलति जो इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तति हो गए हैं, वे एक भी जातीय समूह नहीं हैं क्योंकि वे वभिन्नि जातिसमूहों से संबंधति हैं। इसलयि उन्हें अनुच्छेद 341 के खंड (2) के अनुसार अनुसूचति जातिका (SC) की सूची में शामिल नहीं कया जा सकता है, जसिमें शामिल करने हेतु एकल जातीय समूह की आवश्यकता होती है। (2014)

प्रश्न2. कया राष्ट्रीय अनुसूचति जातिका आयोग (NCSC) धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचति जातियों के लिये संवैधानिक आरक्षण के कर्यान्वयन का प्रवर्तन करा सकता है? परीक्षण कीजयि। (2018)

